the year 1967-68, under section 36 of the Employees' State Insurance Act, 1948. [*Placed in Library. See* No LT-2937/70]

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मंत्री महोदय, आज 1967-68 साल की एम्प्लायीज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन की आडिट रिपोर्ट रख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आज तीन साल की देरी कर के यह रिपोर्ट यहां पर क्यों रक्खी जा रही है ? मैं तो कहना चाहूंगा कि आप इस तरह के रूल्स बनायें कि इतनी देरी न हुआ करे।

DELHI MOTOR VEHICLES (SECOND AMENDMENT) RULES

SHRI IQBAL SINGH : I beg to lay on the Table a copy of the Delhi Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 1969 (Hindi and English Versions) published in Notification No. F. 3(34)/68-69-Tpt. in Delhi Gazette dated 19th February, 1970, under sub-section (3) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939. [*Placed in Library. See* LT-2938/70]

13½ hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

HUNDRED AND THIRD REPORT

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भेषज भंडार डिपुओं (स्वास्थ्य विभाग) से सम्बद्ध लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1969, के पैराग्राफ 114के बारे में लोक लेखा समिति का 103वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890.

MR. SPEAKER : Motion Moved :

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890."

श्री शिवचंद्र झा (मधुबनी): अध्यक्ष महोदय, यह एक तरफा विधेयक है। इस में इस की गुंजाइश होनी चाहिए कि अगर गाड़ी लेट हो जाय, गाड़ी में पानी बत्ती का इन्तजाम न हो, खाना अच्छा न मिलता हो, स्टेशन पर उस का इन्तजाम ठीक न हो, स्टेशन के मेनटेनेन्स में कोई कमी हो तो इस के सम्बन्ध में कोई कांस्टिट्यूशनल मशीनरी होनी चाहिये ताकि खबर मिलते ही वह उस पर कार्रवाई कर सकें। जो भी इस के इन्चार्ज हों उन के सम्बन्ध में भी शिकायतें मिलें तो रेलवे बोर्ड को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो जो हायेस्ट अथारिटी हो वह उस पर कार्रवाई करे, यह व्यवस्था होनी चाहिये। तभी यह विधेयक कम्प्लीट होता वर्ना यह वन-साइडेड विधेयक है और इस तरह के एक-तरफा विधेयक को यहां पर नहीं लाना चाहिए।

MR. SPEAKER : I am sorry that such things are not allowed at the stage of introduction.

श्री मधु लिमये (मुंगेर): मंत्री महोदय को इस का जवाब देना चाहिये। नियमों में यह लिखा हुआ है। अगर कुछ डाउट है विधेयक के बारे में तो उन को जवाब देना चाहिये।

*Published in the Gazette of India Extraordinary Part II, section 2, dated the 24 March, 1970.

MR. SPEAKER : Only constitutional objections can be raised at this stage....

श्री मधु लिमये: इस में लिखा हुआ है कि माननीय सदस्य जो मुद्दे उठायें उन का जवाब मंत्री महोदय को देना चाहिये ।

MR. SPEAKER : Only constitutional objections can be raised at this stage. But the hon. Member has gone into points which can be raised in the course of the first reading and the second reading. At the time of introduction, I can only allow objections on constitutional grounds to be raised. I am not allowing the hon. Member to raise other points. That would mean setting a bad precedent. I do not mind, if the hon. Minister is prepared to answer.....

श्री शिवचंद्र झा: मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

MR. SPEAKER : I have replied to the hon. Member a number of times.

श्री शिवचंद्र झा: मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । आप के आने के पहले जब भी विधेयक आते थे तब उन का विरोध हम लोग करते थे ।

अध्यक्ष महोदय: बड़ी खुशी से कीजिये । बिल आने वाला है ।

श्री शिवचंद्र झा : हर विधेयक का विरोध हम लोग करते थे । उस में कांस्टिट्यूशनल ऐस्पेक्ट रक्खे जाते थे लेकिन साथ साथ में कुछ मेरिट्स की बातें भी आ जाया करती थीं । इस लिए अगर आप इस तरह का नियम बना देंगे तो हम लोगों को विरोध करने का मौका नहीं मिलेगा । इस की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती ।

अध्यक्ष महोदय: आप की जिदबाजी ने उस दिन भी बिल के बारे में मुझ से गलती करवा दी । आप के आने से पहले साल में एक आध दफे ऐसा होता होगा कि कोई लीव पर बोलता हो, नहीं तो लीव पर कोई नहीं बोलता था । अब तो हमेशा ही लोग लीव का विरोध करते हैं ।

श्री शिवचंद्र झा: आप के आने से पहले भी ऐसा होता रहा है ।

अध्यक्ष महोदय: आप मेरे बाद आये हैं । लीव पर जब भी कोई बोलना चाहता है तो इस में कांस्टिट्यूशनल आब्जेक्शन आते हैं । जब विधेयक आयेगा तब आप दो घंटे तक बोलते रहियेगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा । लेकिन इस वक्त इस तरह की बहस नहीं हो सकती ।

The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890".

The motion was adopted.

SHRI NANDA : I introduce* the Bill.

SHRI MANUBHAI PATEL (Dabhoi) You said a short while ago that when you are on your legs, no observation from the floor will go on record. When I was speaking, you were not no your legs. So what I said will be on record.

MR. SPEAKER : Let him not exhaust my patience.

---

*Introduced with the recommendation of the President.